स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 277, दिनांक 14–09–2024

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 13–09–2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्करों को 05 किग्रा अवैध चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रूपये) के साथ जनपद कन्नौज से गिरफ्तार करने में उल्लखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–</u>

1– आदित्य कुमार पुत्र सीताराम निवासी सिठऊ पूर्व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2– दीपक गुप्ता पुत्र हीरा शाह निवासी ग्राम सुगौली बाजार थाना सुगौली जनपद मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार।
3– अंकित कुमार पुत्र राजू शाह निवासी ग्राम सिमरिया नायक टोला थाना रिवील गंज जिला छपरा बिहार।

<u>बरामदगी–</u>

1– 05 किलोग्राम अवैध चरस(अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमूल्य लगभग 25 लाख रूपये।)
2– 02 अदद मोबाइल फोन।
3– नगद 1180/– रूपये ।
4– 01 अदद मोटर साइकिल न0 यूपी 77 एक्स 1989

<u>गिरफ्तारी का समय व स्थान–</u>

लिंक रोड ठठिया से होते हुए मानपुर रोड पर जनपद कन्नौज। दिनांक 13–09–2024 समय 20.30 बजे।

उ0प्र0 में अवैध मादक पदार्थों तस्करी की रोकथाम व तस्करों के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन करने एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था।

अभिूसचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नेपाल से चम्पारण (बिहार) के रास्ते अवैध मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य चरस की खेप लेकर कानपुर आने वाले है। जिसे कानपुर नगर एवं कन्नौज रेलवे स्टेशन के आस–पास उक्त चरस की आपूर्ति की जायेगी इस सूचना पर उप निरीक्षक राहुल परमार के नेतृत्व मे मु0आ0 धीरेन्द्र यादव, मु0आ0 अरविन्द व मु0आ0 चन्द्रप्रकाश की एक टीम जनपद कन्नौज के थाना क्षेत्र कोतवाली, कन्नौज लिंक रोड (ठठिया से मानपुर रोड) के पास से 03 तस्करों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वह बताशा बनाने का काम करता था। काम के सिलसिले में बीरगंज नेपाल गया था। जहां पर उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई उसने अपना नाम नही बताया और कहा कि मुझे रक्सौल में मिलना। कुछ समय बाद वह व्यक्ति रक्सौल में बड़ी मस्जिद के पास इससे मिला। उस व्यक्ति ने इससे कहा कि तुमको एक काम करना है इसके बदले में तुमको काफी फायदा होगा। इसके द्वारा पुनः पूछने पर उसने बताया कि तुमको चरस की सप्लाई करनी है बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी है। आने–जाने का टिकट और पैसा भी मिलेगा। पैसे के लालच में यह काम करने के लिए राजी हो गया। दिनांक 12–09–2024 को वह व्यक्ति इसे एक बैग दिया और बोला कि इस बैग को कानपुर (उत्तर प्रदेश) ले जाना है जहां पर आदित्य कुमार उर्फ परशुराम नाम का एक व्यक्ति को देना है। जिसका पहचान कानपुर पहुॅचने पर बतायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ परशुराम उर्फ राजेश ने पूछताछ मे बताया कि उसका एक गिरोह है जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता है। दिनांक 26–09–2020 को एस0टी0एफ0 कानपुर टीम द्वारा 16 किग्रा चरस पकड़ा गया था। जिसके विरूद्ध थाना नवाबगंज कानपुर में मु0अ0सं 316/20 धारा 8/20/22/23/25/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में यह वांछित था और इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 20 हजार का पुरस्कार घोषित था। जिसे एसटीएफ कानपुर द्वारा दिनांक 21–10–2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूर्व में नेपाल में भी चरस के साथ पकड़ा गया था जहॉ पर लगभग 03 वर्ष नेपाल जेल रहा।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली, जनपद कन्नौज में मु0अ0सं0 774/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।